

तृणमूल सांसद डेरैक ओ ब्रायन ने कहा

भाजपा सरकार बंगाल में शाकाहार थोपने की कोशिश कर रही है

कोलकाता, 24 जून (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरैक ओ ब्रायन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मध्याह्न भोजन में अंडों को शामिल नहीं किए जाने की खबरों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार बच्चों को पोषण से वंचित कर रही है और राज्य में शाकाहार थोपने की कोशिश कर रही है।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन तैयार करने और उसके वितरण में इस्कान से सहयोग मिलने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, इस्कान के नए मेन्यू में अंडों की जगह प्रोटीन के शाकाहार स्रोतों को शामिल किया जाएगा। ओ ब्रायन ने सोशल



मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने को लेकर हुए तमाशे के बाद अब गुजरात जिमखाना का असली चेहरा सामने आ गया है। बंगाल में नई भाजपा सरकार काम पर लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ अंडों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है, जबकि

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरैक ओ ब्रायन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मध्याह्न भोजन में अंडों को शामिल नहीं किए जाने की खबरों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार बच्चों को पोषण से वंचित कर रही है और राज्य में शाकाहार थोपने की कोशिश कर रही है।

दूसरी तरफ स्कूलों के मध्याह्न भोजन से अंडे हटाकर बच्चों को उनसे मिलने वाले पोषण से वंचित किया जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि विरोधियों पर अंडे फेंको, लेकिन बच्चों से मध्याह्न भोजन में अंडे छीनकर उन्हें पोषण से वंचित करो। शाकाहार थोपा जा रहा है। बंगाल इसे स्वीकार नहीं करेगा।

निजी मेडिकल कालेजों में शुल्क ढांचे का मामला

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क बहुत ज्यादा होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई से बुधवार को इनकार करते हुए कहा कि हमें इस देश में चिकित्सकों की जरूरत है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हाई कोर्ट ने एक मेडिकल अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि राजस्थान के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्षिक शुल्क 18.90 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की पात्रता के लिए निर्धारित आठ लाख रुपए की आय सीमा के बिल्कुल विपरीत और असंगत है। सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह नहीं

जांच आगे बढ़ रही है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने पहले दावा किया था कि इलाके में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान फेंके गए बम के छर्रे लगने से छात्रा की मौत हुई होगी। शुर्भेंद्र अधिकारी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है और तमन्ना के परिवार को न्याय मिलेगा।

तमन्ना की मां सबीना यास्मीन ने मंगलवार शाम विधानसभा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनी और हमें आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा। इसके तुरंत बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी को न्याय मिलने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है।



पीठ राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कहा जा सकता कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों को सरकारी संस्थानों के बराबर ही शुल्क लेना चाहिए। पीठ ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि निजी संस्थानों में शुल्क बहुत ज्यादा है और उसे सरकारी संस्थानों के बराबर कर दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने राजस्थान में शुल्क ढांचे का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह 25 लाख रुपए तक है।

पीठ ने कहा कि छात्रों के पास छात्रवृत्ति का लाभ लेने का विकल्प उपलब्ध है। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि हमें इस देश में चिकित्सकों की जरूरत है।



खेती

नदिया में बुधवार को धान सुखाती महिलाएं।

एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने

उपराष्ट्रपति से की मुलाकात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और युवाओं के सशक्तीकरण, उच्च शिक्षा और विद्यार्थियों के कल्याण पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने साथ ही इस दौरान पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अनुषंगी संगठन ने एक बयान में कहा कि एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर तिवारी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति के सामने पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े कई मुद्दे रखे इनमें विश्वविद्यालय सीनेट में चुने हुए छात्र प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देना, विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करना और शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित और समयबद्ध नियुक्तियां करना शामिल है।

नदिया में छात्रा की मौत का मामला

दो और आरोपी गिरफ्तार, कुल संख्या 13 हुई

कोलकाता, 24 जून (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक छात्रा की हत्या के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री शुर्भेंद्र अधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का विधानसभा में आश्वासन दिए जाने के 24 घंटे से भी कम समय बाद ये गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि साबिर शेख और जियारुल शेख नाम के दो लोगों को मंगलवार देर रात एक अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया और उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। नदिया जिले के कालीगंज की रहने वाली नाबालिग छात्रा की पिछले साल 23 जून को कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के

पिछले साल कालीगंज विधानसभा

उपचुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के विजय जुलूस के दौरान फेंके गए बम की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के विजय जुलूस के दौरान फेंके गए बम की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल सभी लोगों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि हम घटना के बाद से लगातार छापेमारी कर रहे हैं। मंगलवार रात एक अभियान के दौरान दो फरार आरोपियों को पकड़ लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 13 हो गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि

ई-नीतामी सूचना
अति प्रभावि 125 मिमी एमबीसी पाइप 50 ना हलगुमा 12.5 एमपी एवं 12 इंच एमएच पाइप 10 ना (लगभग 7.5 एमपी) क्षेत्र सामग्री के निचयन हेतु ई-नीतामी प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त सामग्री एमपी के आधार पर तथा "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर विक्रय की जाएगी। जो मेसर्स घोष मशीनरी एंड एलाइड मटेरियल, केयर ऑफ मेसर्स बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड को हे बिघाटी रोड, ओल्ह दिल्ली रोड, भद्रेश्वर, हुगली - 712124 में स्थित है। संपर्क व्यक्ति: श्री अतिकेया घोष मोबाइल: 7278515233 सामग्री का निरीक्षण पूर्व निगुलित तैकर 06.07.2026 को किया जा सकता है। ई-नीतामी की तिथि: 07.07.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से आगे। बयाना राशि (ईएमपी) सहित ई-नीतामी प्रपत्र नीतामीकर्ता के पते पर 06.07.2026 को साव 06.00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।

ई-नीतामी पोर्टल: www.thesahagbids.com
संप्रदा परिवर्तन पर जाकर अपना संपीकरण करें।
सुझाव हेतु संपर्क करें: श्री संदीप शर्मा,
9811990540, प्रेम सॉफ्ट - 9811990213

द साल्वेज बिड्स, एच-2, कार्यालय संख्या 303, तृतीय तल, अपरा नीलेखन प्लाजा, पताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली - 110034।

शुद्धि पत्र
FORM B उपा इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में)
के सम्बंध में
दिनांक 24/06/2026 को प्रकाशित FORM B सर्वजनिक सूचना में क्रम संख्या 10 में त्रुटिवश इमेल आईडी गलत अंकित हो गई है।
जबकि सही ईमेल cirp.ushaindia@gmail.com है।
शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहनेगी।
अवनीश श्रीवास्तव
परिसमापक
उपा इंडिया लिमिटेड
आईबीबीआई / आईपीए-001 / आईपी-बी-01845 /2019-2020/12869
आईबीबीआई पंजीकृत पता:
श्रीवास्तव अवनीश एच कंपनी,
2/7, द्वितीय तल, 14/129ए, गोपाला चेंबर,
परब, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208001
ई-मेल आईडी: caavneesh11@gmail.com

जॉर्ज सं. 6
[विलियम 15 (1)(f) देखें]
ऋण वसूली अधिकरण कोलकाता (डीआरटी 1)
अवी मंजिल, जीवन सुधा बिल्डिंग,
42-सी, जैहल, नेहरू रोड, कोलकाता - 700071
डायरी सं.: 697/2024
एक्स. सं.: 105
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्राना
सहयोगी डिस्ट्रीब्यूटर्स लि. एवं अन्य
सेवा में,
(1) सहयोगी डिस्ट्रीब्यूटर्स लि. एवं अन्य
9 ओल्ह पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, कोलकाता 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001
(2) श्री राजेश पट्टी
सेंटर पॉइंट, 21 हेमंत वसु सरनी, 3री मंजिल, कमरा सं. 312, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
(3) श्रीमती सुनीता पट्टी
सेंटर पॉइंट, 21 हेमंत वसु सरनी, 3री मंजिल, कमरा सं. 312, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001
(4) श्रीमती संगीता पट्टी
सेंटर पॉइंट, 21 हेमंत वसु सरनी, 3री मंजिल, कमरा सं. 312, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700001
(5) मेसर्स अम्ये इलेक्ट्रोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड 70, बाजे शिवपुर रोड, थाना - शिवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 711102
(6) मेसर्स काइन सॉज आरन प्राइवेट लिमिटेड 9, अजिन्त मुखर्जी रोड, हावड़ा - 711102, थाना - शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711102
(7) मेसर्स सुप्रिम कार्नाटकर प्राइवेट लिमिटेड 2, राधा कर्माच घोष लेन, हावड़ा - 711101, थाना - शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711101
(8) मेसर्स एमएफई 70, बाजे शिवपुर रोड, हावड़ा - 711101, थाना - शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711101
(9) मेसर्स नर्मद कर्मचिन्तन प्रा. लि. 73, सनान मिस्त्री लेन, भुवनेश्वर, हावड़ा - 711106, थाना - साल्किया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711106
(10) श्री राजन प्रसाद 152, रामकृष्णपुर लेन, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711102
(11) श्री राजू बिंद 348, गोस्वामीपुर पल्ली, थाना - बली, हुगली, पश्चिम बंगाल - 711021
(12) श्री गौतम कुमार चौधरी 44/2, सनान मिस्त्री लेन, गोलाबाड़ी, थाना - गोलाबाड़ी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711021
(13) श्री राजकुमार दास 39/10, कालीप्रसाद बन्नी लेन, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711101
(14) श्री अमित मोंडल 141, बेलिलियस रोड, बांरा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711101
(15) श्री चतुर्नन्दन प्रसाद 152, रामकृष्णपुर लेन, शिवपुर, थाना - शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711102

सूचना
जैसाकि इस अधिकरण के समक्ष एक आवेदन किया गया है, जिसको प्रति इसके साथ संलग्न है। यह आपको नोटिस देने के लिए है, कि मांग की गयी राशियों को ज्यों न स्वीकार की जाये।
ध्यान दें कि उक्त आवेदन पर अधिकरण द्वारा 27/07/2026 को सुनह 10:30 बजे या अधिकरण की सुविधा के अनुसार उसके दुरंत बाद सुनवाई की जाएगी।
2. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिवत रूप से अधिकृत अधिकार/ वकील के माध्यम से उपरोक्त समग्र पर उपस्थित हों और अपना जवाब, यदि कोई हो, दाखिल करें।
3. ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित तिथि पर आपके उपस्थितन न होने की स्थिति में, कार्यवाही आपकी अनुपस्थिति में सुनी जाएगी और उस पर निम्न लिया जाएगा।

आज दिनांक 30/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

हस्ता./-
सहायक डिस्ट्रीब्यूटर

ऋण वसूली अधिकरण सं.-1, कोलकाता

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF TMT (INDIA) LIMITED
(“TIL”/ “TARGET COMPANY”/ “TC”)
(Corporate Identification No. L99999TG1976PLC002002)
Registered Office: 1st Floor, Punnaiah Plaza, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500 034;
Phone No.: +91-7093294949; Email id: csmtindia@gmail.com; Website: www.lmtindia.in

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011
This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Yoga Builders Private Limited (Acquirer-1), Scaffold Properties Private Limited (Acquirer-2) And Mx Profitlease Private Limited (Acquirer-3) (Acquirer-1, Acquirer-2 and Acquirer-3 Hereinafter Referred To As The “Acquirers”) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (“SEBI (SAST) Regulations”) and the SEBI Observation Letter No. U/14299/2026 dated June 19, 2026 in respect of Open Offer (“Offer”) for the acquisition up to 12,87,988 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the fully paid-up equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement (“DPS”) pursuant to the Public Announcement (“PA”) made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratnahkal - Marathi Daily (Mumbai edition); Mana Telangana - Hyderabad Daily (Telugu edition) on 27th April, 2026.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

1. Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	20.04.2026	Monday	20.04.2026	Monday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	27.04.2026	Monday	27.04.2026	Monday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	27.04.2026	Monday	27.04.2026	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	05.05.2026	Tuesday	05.05.2026	Tuesday
Last date for a Competing offer	19.05.2026	Tuesday	19.05.2026	Tuesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	26.05.2026	Tuesday	19.06.2026	Friday
Identified date*	29.05.2026	Friday	23.06.2026	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	05.06.2026	Friday	01.07.2026	Wednesday
Last date for revising the Offer Price	10.06.2026	Wednesday	06.07.2026	Monday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	10.06.2026	Wednesday	06.07.2026	Monday
Advertisement with Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	11.06.2026	Thursday	07.07.2026	Tuesday
Date of Opening of the Offer	12.06.2026	Friday	08.07.2026	Wednesday
Date of Closure of the Offer	25.06.2026	Thursday	21.07.2026	Tuesday
Post Offer Advertisement	03.07.2026	Friday	28.07.2026	Tuesday
Payment of consideration for the acquired shares	10.07.2026	Friday	04.08.2026	Tuesday
Final Report from Merchant Banker	17.07.2026	Friday	11.08.2026	Tuesday

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Sellers and Promoter & Promoter Group) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.
All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LDF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078 **Email id:** navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com **SEBI Registration No:** INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
Date: June 24, 2026